कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त श्री सत्येन्द्र सिंह का पदस्थापन आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–5/आर.पी.एस.सी./नियुक्ति–भूगोल/17 दिनांक 29.06.17 द्वारा राउमावि सूनीपुर, बाडी, धौलपुर किया गया। सत्येन्द्र सिंह ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध याचिका सं0 11065/17 माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में दायर की। याची ने अपनी याचिका में गुहार की उसका पदस्थापन उसके गृह जिले (अलवर) से बाहर धौलपुर में किया गया, जबकी उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.17 में याची द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने का निर्देश दिया।

अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया गया तथा संबंधित अभिलेखो का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि याची का पदस्थापन काउन्सलिंग द्वारा किया गया। जिसके लिये याची ने अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किया। काउन्सलिंग की प्रक्रिया काउन्सलिंग वरियता क्रमानुसार पदस्थापन करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया है। याची का पदस्थापन भी काउन्सलिंग वरियता क्रमानुसार याची को पदस्थापन स्थान चयन का अवसर देते हुये किया गया। अतः याची का पदस्थापन याची की सहमति के अनुसार किया गया। व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय पद है। अतः प्रकरण मोनिका मील तथा शिवप्रसाद निमीवाल से बिल्कुल भिन्न है।

याची ने कार्यग्रहण अवधि बढवाने के लिये भी कोई आवेदन नही दिया जबकि इनके कार्यग्रहण करने की निर्धारित अन्तिम तिथि 10.07.17 थी। याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुये निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–5/याचिका सं0 11065/17 — दिनांक 08/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग को क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी–2/जय./निर्णय/29815/17 दिनांक 27.09.17 के क्रम में
3. संबंधित अभ्यर्थी श्री सत्येन्द्र सिंह, पुत्रश्री ओमस्वरूप चौधरी, अरूवा, कठूमर, अलवर
4. गार्ड पंजिका
5. कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर